Title: Regarding recycling of disposable items in hospitals in Delhi.

श्री राजेश पायलट (दौसा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत दुख की बात सदन के सामने रखना चाहता हूं और भाई साहिब सिंह जी यहां बैठे हुए हैं। यह इनके गांव की बात है इसलिए और ज्यादा दुख हो रहा है। मैंने एक ऐसी दुखद घटना के बारे में टेलीविजन में देखा कि जो सिरिंज होती हैं, इंजैक्शन होते हैं, हैंड ग्लब्ज होते हैं,â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Pilot, as you are raising a matter referring to a video cassette, I have to inform you that Rule 349(xxii) prohibits a Member to bring or play cassette or tape recorder in the House. Therefore, bringing a cassette in the House is not allowed, the Member is informed accordingly.

SHRI RAJESH PILOT : Sir, the cassette is closed. But, I thought I would place it on the Table of the House.

MR. SPEAKER: No.

SHRI RAJESH PILOT : Now, the cassette is closed.

मैं कहना चाहता हूं कि डाक्टर द्वारा इस्तेमाल किये हुए इंजेक्शन्स, ग्लव्स, ट्यूब्स या और चीजें हैं, वे सब कबाड़ी के हिसाब से 20-25 रुपये में बिकती हैं। उनको धोकर, साफ करके छोटे-छोटे क्स्बों में बेचा जाता है। यह "आज की बात" प्रोग्राम में मैंने कल देखा है। उन्होंने दिखाया है कि 20-25 रुपये में खरीदकर वे उसे उसी कीमत पर बेच देते हैं। सारे देश का जो पैसा हैल्थ स्कीम्स में लग रहा है, उससे उल्टा काम हो रहा है और यह सरकार की नजर में है। "आज की बात" प्रोग्राम ने वहां जाकर देखा और उसके फोटो लिये। मैं वह टेप लेकर आया हूं ताकि मैं इसे हाउस की टेबल पर रख सकूं। उसे आप देख लें और सरकार से कहें कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे औथेंटीकेट कर रहे हैं?

श्री राजेस पायलट : मैंने खुद "आज की बात" प्रोग्राम में देखा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे औथेंटीकेट कर रहे हैं?

श्री राजेश पायलट : आप टेप के बारे में कह रहे हैं तो मैं दस्तखस्त करूंगा कि मैंने उसे देखा है।

अध्यक्ष महोदय : आप टेप के लिए औथेंटीकेट कर रहे हैं?

श्री राजेश पायलट : मैंने जो टेप देखी है, उसको मैं औथेंटीकेट कर रहा हूं।

श्री साहिब सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव की बात है इसलिए मैं स्पट करना चाहता हूं कि वह काम मेरे गांव के किसी व्यक्ति का नहीं है। मेरा गांव 10-15 या 20 किलोमीटर में बसा हुआ है। वहां पर इधर-उधर से किरायेदार आकर बसे हुए हैं। वह काम किसी और का होगा। â€¦(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : दिल्ली में कहीं कुछ होगा, तो दिल्ली बदनाम होगी। â€¦(व्यवधान)

श्री साहिब सिंह : आप गांव को बदनाम न करो। â€¦(व्यवधान) हमारे गांव के किसी व्यक्ति का काम नहीं है। â€¦(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : गांव तो मुल्क का है। â€¦(व्यवधान) दिल्ली में दस बस्तियां हैं। अगर किसी बस्ती में हो तो दिल्ली का नाम आयेगा। â€¦(व्यवधान)

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय पायलट जी ने जो बात कही, उसी संबंध में मैं अपनी बात कह रहा हूं। हम सबने कल "आज की बात" प्रोग्राम में ऐसा देखा तो उसे देखकर हतप्रभ रह गये। पहले हमने यह सुना था कि मिनरल वॉटर की बोतल को साफ करके उसमें कोई भी पानी भर दिया जाता है और मार्केट के अंदर वह मिनरल वॉटर के नाम से बिक रहा है। किन्तु यह बड़े आश्चर्यजनक बात है कि जो डिस्पोजेबल सीरिंज, ग्लव्स या ट्यूब्स हैं, वे बाहर के प्रदेशों से दिल्ली के अंदर आ रही हैं। उनको अस्पताल और नर्सिंग होम की वैन लेकर आ रही हैं। मुझे मुंडका गांव का पता नहीं लेकिन पश्चिमी दिल्ली के एक इलाके में यह सारा आपरेशन चल रहा है। मेरा विशेष रूप से कहना है कि पुलिस इसका एक सुओ-मोटो केस बनाकर दर्ज करे। सवाल यह नहीं है कि कौन इनको बना रहा है, उसकी रिसाईक्लिंग कर रहा है, दुबारा बनाकर बेच रहा है। सवाल इस बात का है कि अस्पताल उनको डेस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं। उनको लाकर बेच रहे हैं जिससे वह दुबारा रिसाईक्ल हो रहा है। मेरा कहना है कि उन अस्पतालों या नर्सिंग होम्स के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि मेडिकल रूल्स में यह लिखा है कि हरेक अस्पताल या नर्सिंग होम डिस्पोजेबल सीरिंज को डेस्ट्राय करे। इसके कारण एड्स, एच.आई.वी.,क्लोरा आदि बीमारियों के होने का डर है। जो व्यक्ति कैमिस्ट की दुकान से बड़ी सावधानी से सामान खरीदता है, जब उसे यह पता चलेगा कि रिसाईक्लिंग होकर पुरानी चीज बिक रही है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी महामारी फैल जायेगी। इसलिए गवर्नमैंट को इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : गवर्नमैंट जवाब दे रही है।

श्री विजय गोयल : यह सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के ऊपर है। मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार इस पर कोई एक्शन ले रही है या नहीं?

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : रिसाईक्लिंग का काम पूरे देश में हो रहा है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : यह घटना भले ही दिल्ली प्रदेश के किसी गांव में हुई हो, इस प्रकार की घटना भले ही प्रकाशित न हुई हो लेकिन देश भर में एक नयी समस्या उठ खड़ी हुई है कि अस्पतालों में जो चीजें उपयोग की जाती हैं, उनको नट किये बिना कूड़े-कचरे में फेंक दिया जाता है। इनके दुबारा प्रयोग करने से असाध्य रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इस बारे में हम सबको जानकारी है, सदन वक्तो भी जानकारी है कि यह मामला पिछले वर्ा उच्चतम न्यायालय में गया था। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकारों को आदेश दियाा कि 500 बेड से जो बड़े अस्पताल हैं, वे पिछली 31 दिसम्बर से पहले ही अपने खुद के अस्पताल में ऐसी चीजों को नट करने की व्यवस्था का निर्माण करें। जो 500 बेड से छोटे अस्पताल हैं, उनके लिए विभिन्न राज्य सरकारें

अपने-अपने गांव में क्योंकि 10,15 या 25 बेड का अस्पताल अपने आप इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी नहीं कर सकता, इसलिए उनके लिए सार्वजनिक व्यवस्था की जाये, इस प्रकार का उच्चतम न्यायालय का आदेश था। कुछ शहरों ने इस पर अमल किया लेकिन लगता है कि कुछ ने नहीं किया। इसलिए मैं सरकार की ओर से कहना चाहूंगा कि हम स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सभी प्रदेश सरकारों को फिर से इस बारे में लिखेंगे कि उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय लिया था, उस निर्णय के अनुसार हर अस्पताल ऐसी चीजों को नट कर दे। यह जो बंधन है, उसको पूरा करे और कहीं कोई उसे पूरा न करता हो तो पुलिस उस पर कार्रवाई करे।

उसे पूरा करे और अगर कहीं न करता हो तो पुलिस उस पर कार्रवाई करे।

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : मेरा आपसे निवेदन है कि एक पर्टिकुलर मामला आया है इसकी जांच होनी चाहिए। पिन पाइंट करके इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर पता चले कि यह सब कहां से आता है, लोग क्या करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि आप होम मिनिस्टर से कहकर दिल्ली पुलिस इसकी जांच करायें, जैसे दिल्ली पुलिस ने पहले क्रिकेट के केस में किया, उसी तरह से आप इसकी जांच करायें। अगर यह पाया गया कि यह सारे देश के अन्दर मामला है तो इसकी भी सी.बी.आई. से जांच करवा कर किसी निश्चित पाइंट पर पहुंचना चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन : खुराना जी ने एक मुद्दा कहा है, अब किस मंत्रालय के अन्तर्गत आयेगा, अभी मेरे लिए कहना मुश्किल है। गृह मंत्रालय हो, आरोग्य मंत्रालय हो, लेकिन जो "आज की बात" में छपा है, उसकी जांच सरकार की ओर से की जायेगी और अभी मैं इसमें सी.बी.आई. की बात नहीं कहता, लेकिन देश भर में ऐसे मामले में सावधानी तो हमको बरतनी है कि हास्पिटल्स इस प्रकार की रचना करें, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि it is nipping in the bud itself. और उस पर हम ज्यादा अमल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस घटना की उचित मंत्रालय की ओर से जांच कराई जायेगी।â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास लिखा हुआ है, हम सब को बुलाएंगे। आप चेयर को डिस्टर्ब मत करिये।